

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 01/2022

रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/2

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस
लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स,
शास्त्री सर्कल उदयपुर

अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्स:-

1. श्री देवी लाल नई पुत्र श्री पन्ना लाल नई निवासी 26 गारी महोल्ला रोहिडा, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा(ऋणी/बंधक कर्ता)
2. श्रीमती दीपिका नई पत्नी श्री देवी लाल नई निवासी 26. गारी माहोल्ला रोहिडा ,तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा(सहऋणी)
3. श्री भेरा लाल नई पुत्र श्री पन्ना लाल नई निवासी गारी महोल्ला रोहिडा ,तहसील गढी जिला बांसवाड़ा (सहऋणी)
4. श्री शंकर लाल नई पुत्र श्री मगन लाल नई निवासी सकारिया तहसील, गढी जिला बांसवाड़ा (जमानती)
5. श्रीमती रंजना नई पत्नी श्री प्रकाश चन्द्र नई निवासी रोहिड, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा (जमानती)

बनाम

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 21.04.2022

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 1- श्री देवी लाल नई पुत्र श्री पन्ना लाल नई निवासी 26 गारी महोल्ला रोहिडा, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा(ऋणी/बंधक कर्ता) 2- श्रीमती दीपिका नई पत्नी श्री देवी लाल नई निवासी 26 गारी माहोल्ला रोहिडा ,तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा(सहऋणी) 3- श्री भेरा लाल नई पुत्र श्री पन्ना लाल नई निवासी गारी महोल्ला रोहिडा ,तहसील गढी जिला बांसवाड़ा (सहऋणी) 4- श्री शंकर लाल नई पुत्र श्री मगन लाल नई निवासी सकारिया तहसील, गढी जिला बांसवाड़ा (जमानती) 5- श्रीमती रंजना नई पत्नी श्री प्रकाश चन्द्र नई निवासी रोहिड, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा (जमानती) को दिनांक 27.06.2019 को राशि रुपया 4,00,000 (अक्षरे चार लाख रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण

का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 07.05.2021 को



कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 30-06-2021 को कुल बकाया ऋण राशि 3,66,450 रु. (तीन लाख छियासठ हजार चार सौ पचास रुपये मात्र) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की बसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण श्री देवी लाल नाई पुत्र श्री पन्ना लाल नाई की सयुक्त सम्पत्ति जो पट्टा संख्या 3732, मिसल संख्या 03/20.02.2019, खसरा संख्या 2548, ग्राम रोहिडा, तहसील गढी जिला बांसवाडा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका माप लगभग 810 वर्ग फीट है, जिसके पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में स्वयं का आंगन, उत्तर में भेरा नाई का मकान, दक्षिण में आम रास्ता है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015 के अनुसार प्रार्थी एसआरजी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप-खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 16-07-2021 को ऋणी अप्रार्थीगणों को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व ऋण राशि जमा नहीं करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 21.01.2022 को जारी किये गए। अप्रार्थीगणों की ओर से श्री प्रीतम सिंह अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। दिनांक 21.03.2022 को अप्रार्थीगणों की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया कि वर्ष 2020-2021 में कोविड 19 विश्व व्यापी महामारी के चलते शेष रकम समय पर जमा नहीं करवा सके। बकाया राशि 3,66,450 बकाया होना पूर्णतया अस्वीकार है, स्टेटमेंट दिनांक 11.08.2021 अनुसार राशि रु. 241647 जमा है, पश्चात् 50,000 जमा है इस तरह कुल 291,647 जमा है। बकाया राशि के सन्दर्भ में बैंक स्टेटमेंट इत्यादि अप्रार्थीगणों के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत नहीं किये गये। तत्पश्चात से अप्रार्थीगण अथवा उनके अधिवक्ता

अनुपस्थित रहे।



कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)


अतः अप्रार्थीगणो एवं उनके अधिवक्ता को बहस हेतु समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी बहस हेतु अनुपस्थित रहे है लिहाजा अप्रार्थीगणो की बहस बंद की जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बासवाड़ा (राज.)
बासवाड़ा